

To,

The Vice Chancellor
Pt. Sundarlal Sharma (Open) University
Chhattisgarh, Bilaspur

Through : Registrar, Pt. Sundarlal Sharma (Open) University, Chhattisgarh, Bilaspur.

Subject : Application for Maternity Leave.

Respected Sir,

With Respect I am writing this letter to inform you that I wish to take maternity leave starting from 01/03/2017. As you are aware my due date is on 18/03/2017. I would like to avail the entire maternity leave and benefits.

The leave I would like to apply from 01/03/2017 to 31/08/2017. All in together I would be taking six months leave and will join immediately after that.

I hope you will consider my situation and allow me to take the maternity leave. In my absent my departmental charge will be taken by Dr. Ashutosh Singh.

Thanking you

Yours Sincerely,

(Dr. Preeti Rani Mishra)

Ash Singh
20 Feb 2017
Dr. Ashutosh Singh

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Pradham
Shri Resham Lal Pradhan
Incharge UAC Criteria-VI
PSSOU, CG Bilaspur

विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की 59 वीं बैठक का कार्यवाही-विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्य परिषद् की 59 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 26/02/2017, दिन रविवार पूर्वान्ह 12:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय के प्रशासनिक भवन के कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही -

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह — अध्यक्ष
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. प्रो. देबाल कुमार सिंहरॉय — सदस्य
आचार्य
समाजशास्त्र अध्ययन विभाग
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली
(कुलपति, इग्नू के द्वारा मनोनीत)
3. डॉ. बी.एल. गोयल — सदस्य
अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा कार्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा मनोनीत)
4. श्री एस. एल. नायक — सदस्य
संयुक्त सचिव
छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा नामांकित)
5. डॉ. एस. के. जाधव — सदस्य
प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)
6. डॉ. एस. आर. पटेल — सदस्य
अधिष्ठाता
ठाकुर छेदीलाल बेरिस्टर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र
बिलासपुर (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

7. डॉ. राजकुमार सचदेव — सचिव
कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके —

1. उपाध्यक्ष — सदस्य
सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
नया रायपुर (छ.ग.)
2. उपाध्यक्ष — सदस्य
बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
नया रायपुर (छ.ग.)
3. सचिव — सदस्य
छ.ग. शासन
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)
4. श्री एस.के. चक्रवर्ती — सदस्य
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)
5. श्री ओ. पी. सिंघानिया — सदस्य
62/6, नेहरू नगर, ईस्ट
अग्रसेन मार्ग, भिलाई
जिला-दुर्ग (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)
6. डॉ. (श्रीगती) बीना सिंह — सदस्य
सहायक प्राध्यापक
शिक्षा विभाग
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
(कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)

कार्य परिषद् की बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई तथा आधे घंटे के बाद स्थगित बैठक प्रारंभ की गई। बैठक के प्रारंभ में माननीय कुलपति जी के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों ^{का} स्वागत किया गया। तत्पश्चात् प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गये —

PSSOU/EC_59 / Page 3 of 3

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University of Bilaspur

Shri Keshum Lal Pradhan
Incharge NAC Criteria-VII
PSSOU, CG Bilaspur

प्रस्ताव कं 13 NPS/EPF में कर्मचारी अंशदान की कटौती पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये निर्णय लिया गया कि मासिक मानदेय व प्रोत्साहन की राशि जिलाध्यक्ष दर से सिद्धांतः कम नहीं होनी चाहिये। उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इसे फरवरी (मार्च, 2017 में देय हो) से लागू करने का निर्णय हुआ।

प्रस्ताव कं 14 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्निति संबंधी नियम का अनुमोदन।


निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।


अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखे गये प्रस्ताव –

प्रस्ताव कं 15 प्रूसति अवकाश की स्वीकृति – डॉ. श्रीमती प्रीति रानी मिश्रा, सहायक प्राध्यापक।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति आभार प्रगट करते हुये बैठक समाप्त की गई।



(राजकुमार सचदेव)
कुलसचिव/सचिव


(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

VERIFIED



REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


Shri Kesham Lal Pradhan
Incharge HR&C Criteria
PSSOU, CG Bilaspur